

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तनाई
(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नगर (डीग) राज०
पीठासीन अधिकारी -अनुराग हरित (आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 111/2018

तारीख दायरा:-20.09.2018

- जल सिंह उम्र 64 साल पुत्र रघुवीर
- जग्गो उम्र 60 साल पुत्र रघुवीर जातियान गुर्जर, निवासीयान ग्राम सारंगपुर, तहसील नगर, जिला भरतपुर राज०)
- श्रीमती किरन उम्र 67 साल पुत्री रघुवीर, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम सारंगपुर हाल निवासी ग्राम बौलखेडा, तहसील कामाँ -वादीगण

बनाम

-)विज्जो पुत्र श्यामलाल
-)जीतराम पुत्र श्यामलाल
-)मुस० अंगूरी पत्नी स्व० लक्ष्मन
-)जतनो पुत्र लक्ष्मन
-)बदन सिंह पुत्र लक्ष्मन
-)मुस० मुदरी पुत्री लक्ष्मन
-)करन सिंह पुत्र लक्ष्मन
-)मटोली पुत्र लक्ष्मन
-) श्री किशन पुत्र लक्ष्मन
-)जसवंत पुत्र लक्ष्मन
- 1) रतन सिंह पुत्र पूरना
- 2)अमर सिंह पुत्र पूरना
- 3)हरी सिंह पुत्र पूरना
- 4)घन्सीराम पुत्र पूरना जतियान गुर्जर, निवासी ग्राम सारंगपुर तहसील नगर (भरतपुर) राज०
- 5)मुस० चमेला पुत्री पूरना पत्नी राधेलाल, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम सारंगपुर हाल निवासी बजीरखेडी तहसील नगर (भरतपुर) राज०
- 6)मुस० रतनी पुत्री पूरना पत्नी मांगलाल, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम सारंगपुर हाल निवासी ग्राम खेडली तहसील भुसावर (भरतपुर) राज०
- 7)राज० सरकार जरिये श्रीमान जिला कलैक्टर महोदय, भरतपुर (राज०)
- 18)तहसीलदार साहब तहसील नगर (भरतपुर) राज०

-- प्रतिवादीगण

लक्टर
स्ट्रेट (डीग) राज०

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू हमारे बहाजरी वादी श्री मेघसिंह भगौर अभिभाषक मिनजानिब मुद्दई रूपसिंह राणा अभिभाषक मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है कि दावा वादी गैर खातेदारी अधिकार, खातेदारी से स्पष्टतया भिन्न (अलग) अधिकार है, जहाँ पर गैर खातेदार आसामी को अपनी भूमि हस्तांतरित के अधिकार प्राप्त नहीं है, चाहे वह इकबाल दावे से ही क्यों ना हो। सभी तथ्यों पर विवेचन के आधार पर वादी द्वारा वांछित अनुतोष दिया जाना संभव नहीं होने के कारण दावा वादी खारिज किया जाता है।

डिक्री बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23.07.2024 को जारी की गयी।

(अनुराग हरित) R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नगर (डीग)
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक)
नगर (डीग) राज०